न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 6ए ई.सी.एक्ट / 18 / 25

राज्य सरकार जरिये महेश कुमार उर्वरक निरीक्षक, एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बयाना जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

लावारिस

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

आदेश

दिनांक 24.04.2026

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट विरुद्व अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया गया कि दिनांक 24.09.2025 को दूरभाष पर डीएपी के अवैध भण्डारण के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर निठार गॉव के पास माईदपुर गॉव में निरीक्षण निरीक्षण हेतु पहुँचे। निरीक्षण के दौरान गॉव के स्थानीय लोगों ने अज्ञात स्थान पर डीएपी होना बताया। प्रार्थी ग्रामीणों के साथ गॉव माईदपुर के राधा कृष्ण मन्दिर के हॉल में डीएपी खाद हिण्डालको कम्पनी के 225 बैग सही सलामत एवं अच्छी तरह सीलबन्द पाये गये। स्थानीय ग्रामीणों व स्थानीय आदान विक्रेताओं से डीएपी के भण्डारण के बारे में पूछताछ की गई, किसी भी आदान विक्रेता द्वारा यह स्वीकार नहीं किया कि यह डीएपी उनका है। ऐसी स्थिति में उक्त डीएपी को लावारिश मानकर जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त जप्त डीएपी को अवैध मानकर डीएपी का नमूना आहरित किया गया। डीएपी का नमूना कोड संख्या AOPP/F/2025-26/008 दिनांक 24.09.2025 है। जप्ती की कार्यवाही का मौका पर्चा तैयार किया गया, एवं जप्त डीएपी के 225 बैग को ट्रोली में लदवाकर मै. मित्तल फर्टिलाईजर बल्लभगढ के गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया गया। डीएपी की गुणवत्ता की जॉच हेतु विधि अनुसार लिये गये नमूना कोड संख्या AOPP/F/2025-26/008 को जॉच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया गया। उक्तानुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत उर्वरक का नियम विरूद्ध भण्डारण करना अन्तर्गत धारा / क्लॉज FCO 1985-4,5 एवं उर्वरक की कालाबाजारी अन्तर्गत धारा FCO 1985-3(1)(2)(3) का उल्लंघन हुआ है। अतः 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के अन्तर्गत जप्तशुदा उर्वरक 225 बैक डीएपी हिण्डालको ब्राण्ड को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में खाद लावारिस हालस में जप्त किये जाने के कारण न्यायहित में हर खासोआम के नाम से जारी नोटिस जप्त मौका स्थल राधा कृष्ण मन्दिर गॉव माईदपुर पर चस्पानगी कराई गई। प्रकरण में कोई भी उपस्थित नहीं आया। एकतरफा में प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी कार्या. सहायक निदेशक बयाना की बहस सुनी गई।

प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक का कहना है कि दिनांक 24.09.2025 को दूरभाष पर डीएपी के अवैध भण्डारण के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर निठार गॉव के पास माईदपुर गॉव में निरीक्षण हेतु पहुॅचे। निरीक्षण के दौरान गॉव के स्थानीय लोगों ने अज्ञात स्थान पर डीएपी होना बताया। प्रार्थी ग्रामीणों के साथ गॉव माईदपुर के राधा कृष्ण मन्दिर के हॉल में डीएपी खाद हिण्डालको कम्पनी के 225 बैग सही सलामत एवं अच्छी तरह सीलबन्द पाये गये। स्थानीय ग्रामीणों व स्थानीय आदान विक्रेताओं से डीएपी के भण्डारण के बारे में पूछताछ की गई, किसी भी आदान विक्रेता द्वारा यह स्वीकार नहीं किया कि यह डीएपी उनका है। ऐसी स्थिति में उक्त डीएपी को लावारिश मानकर जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त जप्त डीएपी को अवैध मानकर डीएपी का नमूना आहरित किया गया। डीएपी का नमूना कोड संख्या AOPP/F/2025-26/008 दिनांक 24.09.2025 परीक्षण/विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, भरतपुर भिजवाया गया। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 1206–08 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा नमूना अमानक घोषित किये जाने के कारण उक्त उर्वरक डीएपी खाद हिण्डालको कम्पनी के 225 बैग को सक्रिय तत्व के आधार पर दर निर्धारण कर विक्रय करने के आदेश जारी करने एवं प्राप्त विक्रय राशि को राजकोष में जमा करवाये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक के कथनों पर गौर किया गया। उक्त उर्वरक डीएपी खाद हिण्डालको कम्पनी के 225 बैग (प्रत्येक में 50 किग्रा.) में राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, भरतपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 1206–08 दिनांक 13.10.2025 से उक्त उर्वरक में सक्रिय तत्व निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं पाये जाने पर अमानक घोषित किया गया। जबकि प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक ने बहस के दौरान कथन किया है कि उक्त जप्त उर्वरक पूर्णतः मानक अनुरूप नहीं है, किन्तु उपयोग के योग्य है। अतः जनहित, संसाधनों के संरक्षण एवं विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के साथ निस्तारण किया जाना उचित पाते है:–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 6ए ई.सी.एक्ट / 18 / 25
उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी कार्या. सहायक निदेशक बयाना बनाम लावारिस

1. संबन्धित कृषि विभाग यह सुनिश्चित करे कि उक्त जप्त उर्वरक कृषि उपयोग हेतु सुरक्षित एवं उपयुक्त है तो विक्रय किया जा सकता है।
2. उर्वरक का विक्रय वास्तविक उपलब्ध सक्रिय तत्वों के अनुपात में संशोधित दर पर किया जाएगा।
3. विक्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः प्रचलित नियमों एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
4. किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही की जवाबदेही सम्बन्धित कृषि अधिकारी / विभाग की होगी।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए)ई सी एक्ट स्वीकार किया जाता है। जप्त उर्वरक डीएपी खाद हिण्डालको कम्पनी के 225 बैग डीएपी का नमूना कोड संख्या AOPP/F/2025-26/008 (प्रत्येक में 50 किग्रा.) को राजसात (Confiscate) किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे जप्त उर्वरक खाद को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शर्तों के साथ नियमानुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक, एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बयाना जिला भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर